

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग  
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-योजना-108/18-

1449 (मौ०) / पटना, दिनांक-17/8/2019

प्रेषक,

ई० शंभू कुमार राय,  
कार्यपालक अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,  
लघु सिंचाई प्रमण्डल, अरवल।

विषय:-नलकूप योजनाओं के निरीक्षण करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

दिनांक- 14-08-2019 को 31 नलकूप योजनाओं का स्थल निरीक्षण कनीय अभियन्ता के द्वारा करना था लेकिन उनके द्वारा 05 नलकूप योजनाओं का निरीक्षण किया गया है।

कनीय अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजा जाय कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाय?

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1449 (मौ०)

/पटना, दिनांक-17/8/2019

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।